

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

157

समक्ष: श्री एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1228-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 01-5-15 पारित
द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 5(1)2015-16/1582.

मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड
पूर्ववर्ती नाम कॉक्स इंडिया लिमिटेड,
द्वारा अधिकृत - राजीव मित्तल पुत्र श्री सतीश मित्तल,
निवासी डिस्टलरी कैम्पस, नौगांव,
जिला छतरपुर म०प्र०

----- अपीलांत

विरुद्ध

आबकारी आयुक्त, म०प्र०, ग्वालियर

----- रिस्पोंडेंट

रिस्पोंडेंट शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित ।


:: आदेश ::

(आज दिनांक 19-9-2016को पारित)

यह अपील आबकारी आयुक्त, म०प्र०, ग्वालियर द्वारा प्रकरण * क्रमांक
5(1)/2015-16/1582 में पारित आदेश दिनांक 01-5-15 के विरुद्ध म०प्र० आबकारी
अधिनियम, 1915 (जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) सी
के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कार्यालय महालेखाकार म०प्र०
ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपीलार्थी कंपनी द्वारा 1-4-11 से 6-5-11 के
मध्य 53 अवसरों पर सिप्रिट का न्यूनतम संग्रह शून्य रखने तथा दिनांक 7-5-11 एवं
दिनांक 7-5-12 से 24-12-12 तक 18 दिन कुल 71 अवसरों में रेक्टिफाइड सिप्रिट का
न्यूनतम संग्रह कम रखे जाने की जानकारी आबकारी आयुक्त को दिए जाने पर आबकारी
आयुक्त ने अपीलार्थी को कारण बताओ सूचनापत्र दिनांक 25-8-14 को जारी किया गया

1/2




जिसका उत्तर अपीलार्थी कंपनी द्वारा दिया गया । विचारोपरांत आबकारी आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलांत कंपनी को म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4 (4) के उल्लंघन के लिए म0प्र0 आसवनी नियम 1995 के नियम 8(3) के अनुसार उक्त अवधि में न्यूनतम संग्रह से रेक्टिफाइड स्प्रिट का कम संग्रह रखने पर 9,61,333/- की शास्ति आरोपित की । आबकारी आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 7-6-16 को अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायहित में 15 दिवस का समय उन्हें लिखित तर्क पेश करने हेतु दिया गया किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण उनके द्वारा अपील मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर किया जा रहा है ।

4- अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपील मेमो में दिए गए तर्कों एवं प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मद्यभाण्डागार में बोटल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जिस कारण चालान लंबित रहे हैं जिनका उल्लेख विद्वान आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों तथा म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4 (4) जिसमें न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है, का उल्लंघन किया गया है । अतः अतः विद्वान आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी पर शास्ति आरोपित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक अवैधानिकता नहीं की गई है । जहां तक अपीलार्थी की ओर से अपील मेमो में दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि कि न्यूनतम संग्रह न रखने से शासन को कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए उस पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है । इस संबंध में जहां अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी द्वारा किया जाता है तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलांत की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिए





प्रासंगिक न होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-5-15 स्थिर रखा जाता है ।

B
2/12

(एम0 के0 सिंह)

सदस्य

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर